नोट

(32)

1. चुनाव सम्बन्धी जानकारियाँ -

उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनावों का चरणवार कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :–

प्रथम चरण मतदान तिथि 10 अप्रैल कुल सीटें–10 जनपद–11

1. सहारनपुर 2. कैराना 3. मुज़फ्फरनगर 4. बिजनौर 10. मेरठ 11. बागपत 12. गाजियाबाद 13. गौतमबुद्ध नगर 14. बुलंदशहर 15. अलीगढ़।

द्वितीय चरण मतदान तिथि 17 अप्रैल कुल सीटें–11 जनपद–11

5. नगीना 6. मुरादाबाद 7. रामपुर 8. सम्भल 9. अमरोहा 23. बदांयू 24. आंवला 25. बरेली 26. पीलीभीत 27. शाहजहांपुर 28. खीरी।

तीसरा चरण मतदान तिथि 24 अप्रैल कुल सीटें–12 जनपद–15

16. हाथरस 17. मथुरा 18. आगरा 19. फतेहपुर सीकरी 20. फिरोज़ाबाद 21. मैनपुरी 22. एटा 31. हरदोई 40. फर्रूखाबाद 41. इटावा 42. कन्नौज 44. अकबरपुर।

(1)

<u>चौथा चरण मतदान तिथि 30 अप्रैल कुल सीटें–14 जनपद–17</u>

29. धौरहरा 30. सीतापुर 32. मिश्रिख 33. उन्नाव 34. मोहनलालगंज 35. लखनऊ 36. रायबरेली 43. कानपुर 45. जालौन 46. झांसी 47. हमीरपुर 48. बांदा 39. फतेहपुर 53. बाराबंकी।

<u>पांचवा चरण मतदान तिथि 7 मई सीटे–14 जनपद–17</u>

37. अमेठी 38. सुल्तानपुर 39. प्रतापगढ़ 50. कौशाम्बी 51. फूलपुर 52. इलाहाबाद 54. फैजाबाद 55. अम्बेडकरनगर 56. बहराइच 59. गोण्डा 61. बस्ती 62. संतकबीर नगर 78. भदोहीं।

<u>छठा चरण मतदान तिथि 12 मई सीटें–18 जनपद–14</u>

60. डुमरियागंज 63. महराजगंज 64. गोरखपुर 65. कुशीनगर 66. देवरिया 67. बांसगांव 68. लालगंज 69. आजमगढ़ 70. घोसी 71. सलेमपुर 72. बलिया 73. जौनपुर 74. मछलीशहर 75. गाजीपुर 76. चन्दौली 77. वाराणसी 80. राबर्टगंज।

44	9454400412	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली
45	9454400418	मथुरा, धार्मिक स्थल मथुरा
47	9454400373	हापुड़, बुलंदशहर
48	9454400374	सोनभद्र
49	9454401183	गौतमबुद्ध नगर

26	9454400407	गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर
27	9454400364	शाहजहांपुर, हरदोई
28	9454400365	इटावा, फतेहगढ़, कन्नौज, औरया
30	9454400414	पीएसी कन्टीजेन्ट अयोध्या एलोजोन फैजाबाद, फैजाबाद, गोण्डा, बस्ती
32	9454400366	हाउसगार्द / सुरक्षा
33	9454400408	झांसी, ललितपुर, जालौन
34	9454400367	वाराणसी, धार्मिक स्थल श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर / ज्ञानवापी सुरक्षा
35	9454400403	लखनऊ
36	9454400368	गाजीपुर,जौनपुर, चन्दौली
37	9454400369	कानपुर नगर, कानपुर देहात
38	9454400370	अलीगढ़, हाथरस
39	9454400371	मीरजापुर, संतरविदास नगर(भदोही)
41	9454400372	गाजियाबाद, पीएसी कन्टीजेन्ट नई दिल्ली
42	9454400402	चित्रकूट, प्रतापगढ़
43	9454400419	एटा, मैनपुरी, कासगंज

2. आदर्श आचार संहिता 2014-

1. कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी ऐसी किसी गतिविधि में भाग नहीं लेगा जिसमें आपसी द्वेष, जातिगत अथवा धार्मिक विद्वेष फैले।

2. राजनैतिक दल या अन्य दलों की आलोचना केवल नीतियों और उनके कार्यक्रमों के आधार पर करेंगे किसी प्रत्याशी के निजी जीवन अथवा अपुष्ट तथ्यों के आधार पर आरोप लगाना अनुचित माना जायेगा।

3. जाति या सम्प्रदाय के आधार पर मत हासिल करने का प्रयास तथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघरों को चुनाव प्रसार का मंच बनाना चुनाव संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

4. मतदान केन्द्र के 100 मीटर भीतर तक चुनाव प्रचार करना, मतदान के 48 घण्टो पहले जनसभा करना और मतदाताओं को व्यक्तिगत वाहन में भरकर मतदान केन्द्र तक ले जाना जैसे भ्रष्ट आचरण से बचना होगा।

5. किसी राजनैतिक पार्टी या उसके समर्थक किसी निजी भूखण्ड, भवन, परिसर, दीवार इत्यादि पर अपने प्रचार हेतु झण्डे, बैनर या नारे सम्बन्धित पोस्टर नहीं लगायेगें जब तक कि भूस्वामी ऐसा करने की अनुमति न दे।

6. किसी राजनैतिक पार्टी का प्रत्याशी ऐसे स्थान से जुलूस नहीं निकालेगा जहां दूसरे दल के प्रत्याशी की जनसभा हो रही हो, जनसभा से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि पुलिस विभाग आवश्यक प्रबन्ध कर सके।

रही हो, जनसभा से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि पुलिस विभाग आवश्यक प्रबन्ध कर सके।

7. चुनाव के दिन सभी राजनैतिक दल शान्तिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मतदान अधिकारियों और मतदाताओं को अपेक्षित सहयोग देगें।

8. मतदान केन्द्र पर चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध पास के बिना जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी प्रत्याशी या

11. जोनल कमाण्डेन्ट के सी0यू0जी0 नं0 व सम्बन्धित जनपद-

वाहिनी	सी0यू0जी0 नं0	अधीन जनपद
02	9454400354	खीरी
04	9454400355	कौशाम्बी, इलाहाबाद
06	9454400356	मेरठ, बागपत
08	9454400411	बरेली, पीलीभीत, बदायूँ
09	9454400357	बिजनौर
10	9454400394	बाराबंकी, बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती
11	9454400358	सीतापुर
12	9454400359	फतेहपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर
15	9454400360	आगरा, फिरोजाबाद, ऐतिहासिक स्थाल ताज महल आगरा
20	9454400361	अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया
23	9454400405	मुरादाबाद, सम्भल
24	9454400362	रामपुर, अमरोहा
25	9454400363	रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव, अमेठी

3-सामान्य कारणों से घटित दुर्घटना में स्थाई विकलांगता (दोनों आंखें व दोनों हाथ या दोनो पैर या पूरा हाथ या एक पूरा पैर या एक पूरी आंख की विकलांगता) की दशा में।	**रू0 2.5 लाख**
4-सामान्य कारणों से मृत्यु की दशा में।	**रू0 05 लाख**

पार्टी कार्यकर्ताओं को आपत्ति है तो वह चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के सामने अपनी बात रख सकता है।

उक्त के अतिरिक्त सभी चुनाव सम्बन्धी आचार संहिताओं का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. चुनाव डियूटी में भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रमुख बिन्दु-

1. मतदान केन्द्र पर बल के कमाण्डर की प्राथमिक जिम्मेदारी मतदान के दौरान मतदान केन्द्र पर कानून व्यवस्था बनाये रखना है और पीठासीन अधिकारी तथा मतदान कर्मियों की सुरक्षा और मतपत्रों, मतपेटियों/इवीएम इत्यादि की उपद्रवी गतिविधि से सम्भावित छति एवं बरबादी से हिफाजत सुनिश्चित करना उसकी डियूटी है। उसे अपनी डियूटी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण और मार्ग दर्शन के अधीन निष्पादित करना चाहियें।

2. कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि टुकड़ियों को चुनाव सम्बन्धी कानून के ऐसे प्रमुख बिन्दुओं की जानकारी हो, जिनका मतदान केन्द्रों अथवा उनके आस–पास उल्लंघन होना सम्भावित हो।

3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 से 137 में

10. अनुग्रह राशिः-

चुनाव डियूटी के दौरान शहीद व घायल होने वाले बल के कार्मिकों को चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि निम्नानुसार प्रदान की जायेगीः–

1-प्रशिक्षण अथवा मतदान/मतगणना डियूटी के दौरान दुर्घटना में (आतंकवादी हिंसा/आसामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड़ माइन्स, बाम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में) मृत्यु।	**रू0 10 लाख**
2-उपरोक्त कारणों से घटित दुर्घटना में स्थाई विकलांगता(दोनों आंखें व दोनों हाथ या दोनों पैर या पूरा हाथ या एक पूरा पैर या एक पूरी आंख की विकलांगता) की दशा में।	**रू0 05 लाख**

अवस्था में छोटी सी छोटी घटना का कुशलता पूर्वक समाधान करें।

* अशिष्ट भाषा का प्रयोग न करें तथा क्रोध प्रदर्शित न करें।

* उपद्रवियों/अपराधियों द्वारा हमला करने पर आदेशों की प्रतीक्षा न करें उनको निष्क्रिय एवं काबू में करने के लिये प्रभावशाली रूप से तुरन्त असरदार फायर का प्रयोग करें।

* हिंसक हमले की स्थिति में घबरायें नहीं और आतंकित न हो। अन्धाधुन्ध गोलीबारी न करें, जिससे निर्दोष मतदाताओं की जान चली जाये।

उन विभिन्न भ्रष्ट व्यवहारो/आचरणों और कार्यों को बताया गया है, जो ''भ्रष्ट आचरण'' के रूप में बताये गये है तथा अधिनियम की धारा 123 में दिये गये है। इस धारा के अन्तर्गत अपराध असंज्ञेय होने के कारण इस विषय में पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव कानून के उल्लंघन के अन्य महत्वपूर्ण कारक को निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के रूप में जाना जाता है, जो हमसे सम्बन्धित है। निर्वाचन सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण अपराध नीचे बताये जा रहे हैः–

जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव कानून के उल्लंघन के अन्य महत्वपूर्ण कारक को निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के रूप में जाना जाता है, जो हमसे सम्बन्धित है। निर्वाचन सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण अपराध नीचे बताये जा रहे हैः–

* मतदान के दिन मीटिंग करना धारा 126 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

* मतदान केन्द्र में लगा प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेन्ट इत्यादि की गोपनीयता बनाये रखेंगे। इसका उल्लंघन करने वाला धारा 128 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

* किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के अन्दर अथवा

मतदान केन्द्र की 100 गज की दूरी तक प्रचार करने की अनुमति नही है इसका उल्लंघन धारा 30 के अधीन दण्डनीय है तथा व्यक्ति को 130(3) के अधीन बिना वारन्ट के पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। अस्त्र–शस्त्र अधिनियम 1959 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुलिस कर्मियों को या मतदान डियूटी पर तैनात अन्य कर्मचारी के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या आस–पास मतदान के दिन किसी भी प्रकार का हथियार लाने की अनुमति नहीं है, इसका उल्लंघन धारा 134(I) के अधीन दण्डनीय होगा। मतदान समाप्त होने के 48 घण्टों के अन्दर किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के क्षेत्र में या किसी सार्वजनिक स्थान पर होटल, ढ़ाबा, शराब, बार, दुकाने इत्यादि चलाने या किसी प्रकार के स्वापक/नशीली दवाओं को बेचने/वितरित करने की अनुमति नहीं है। यह धारा 135(सी) के अधीन दण्डनीय है।

इसका उल्लंघन धारा 134(I) के अधीन दण्डनीय होगा। मतदान समाप्त होने के 48 घण्टों के अन्दर किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के क्षेत्र में या

* किसी के साथ अत्याधिक मित्रवत न रहें। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का उपचार/सुविधायें स्वीकार न करें। मतदान पर धूम्रपान भी न करें।

* ऐसा व्यवहार अथवा वार्तालाप न करें, जिससे किसी राजनैतिक पार्टी अथवा उम्मीदवार के प्रति झुकाव अथवा विद्वेष परिलक्षित हो।

* पीठासीन अधिकारी के आदेश के बिना मतदान केन्द्र न छोड़े।

* मतदान केन्द्रों पर शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में किसी प्रकार की निष्क्रियता न दिखाये।

* मतदान केन्द्र/परिसर में किसी परिस्थिति से निपटने के लिए वहां से न हटें। अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान उपद्रवी मतदान केन्द्र को गम्भीर छति पहुंचा सकते है।

* किसी भी घटना को महत्वहीन न समझे। प्रारम्भिक

कोई हथियार/बम तो नहीं ले जा रहे है।

* पोलिंग स्टाफ तथा सुरक्षा टुकड़ियों पर दूर से छिपकर गोली चलाने की संभावना को देखते हुए मतदान केन्द्रों पर आस–पास के ऊँचे भवनों की निगरानी रखी जाये।

(ख) अनापेक्षित आचरण (न करने वाली बातें)

* किसी भी दल के प्रतीक चिन्ह अथवा चुनावी पोस्टर को अपने शरीर अथवा वाहन पर न लगाये।

* किसी भी व्यक्ति को वोट देने न देने के लिए प्रेरित करने अथवा अन्य किसी प्रकार से मतदान को प्रभावित करने का प्रयास न करें।

* समाज के किसी विशेष वर्ग अथवा जाति से सम्बन्धित लोगों के किसी विशेष समूह के साथ मेल–मिलाप न दर्शायें।

किसी सार्वजनिक स्थान पर होटल, ढ़ाबा, शराब, बार, दुकाने इत्यादि चलाने या किसी प्रकार के स्वापक/नशीली दवाओं को बेचने/वितरित करने की अनुमति नहीं है। यह धारा 135(सी) के अधीन दण्डनीय है।

* किसी भी व्यक्ति को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के अन्दर कोई भी मीटिंग आयोजित या संचालित करने अथवा उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है इसका उल्लंघन धारा 12 के अधीन दण्डनीय है।

* मतदान केन्द्रों पर मतदान करने के लिए जाने वाले सभी व्यक्तियों को उचित व्यवहार करना चाहिये और पीठासीन अधिकारी के विधिसम्मत निर्देशों को मानना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति दुर्व्यहार करता है तो पीठासीन अधिकारी के आदेश पर डियूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र से बाहर निकाल सकता है। इसका उल्लंघन धारा 132 के अधीन दण्डनीय है।

* मतदान केन्द्रों से किसी भी व्यक्ति को मतपत्र/

इवीएम ले जाने की अनुमति नहीं है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो धारा 135 के अधीन दण्डनीय होगा।

* कानून द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए मतपत्र/इवीएम नष्ट करने, बिना प्राधिकार के मतपत्रों की आपूर्ति करने, छल कपट से मतपत्रों को मतपेटी में डालने और मतपेटियों या मतपत्रों से छेड़छाड़ करने की मनाही है। इसका उल्लंघन धारा 136 के अधीन दण्डनीय है।

* यदि कोई व्यक्ति दूसरे के नाम पर जाली मतदान करने के लिए मतपत्र लेता है अथवा लेने का प्रयास करता है या लेने के लिए उकसाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(6) के अधीन दण्डनीय है।

* कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई चुनाव इस्तिहार, पोस्टर इत्यादि नहीं छापेगा या प्रकाशित नहीं करेगा जिस पर मुद्रक या प्रकाशक का नाम न दिया गया हो इसका उल्लंघन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के अधीन दण्डनीय है।

* मतदान केन्द्र पर तैनात अपने संतरी को मतदान के लिए एकत्र हुए लोगो की पहुंच से दूर रखे।

* तोड़–फोड़ विरोधी उपाय के रूप में मतदान केन्द्र की परिसर की अच्छी तरह से जांच करें और मतदान करने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध करने हेतु चिन्हित क्षेत्र में व उसके आस–पास विस्फोटकों की जांच करें। मतदान करने के लिए लोगों की पंक्ति को पोलिंग बूथ से दूर रखा जाये तथा उसे अत्याधिक सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाये। एक समय में सीमित लोगों को ही परिधि के अन्दर जाने की अनमुमति दी जाये।सीमित लोगों को ही परिधि के अन्दर जाने की अनुमति दी जाये।

* किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए लोगों के व्यवहार और उनके पहनावे पर पैनी नजर रखी जाये।

* असाधारण कपड़े पहने हुए लोगों की सूक्ष्मता से निगरानी की जाये कि कहीं वे कपड़ों में छिपाकर

होना चाहिये।

* अपने अस्त्र–शस्त्र की संरक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सतर्क रहें।

* अपने साथ सीटी डोरी, पानी की बोतल, टार्च, खाने का ड्राई राशन जैसे बिस्किट, गुड़, चना, सत्तू आदि तथा दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री अवश्य रखे साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

* पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये उचित निर्देशों का पालन करें, उनके बुलाने पर ही शान्ति व्यवस्था हेतु मतदान कक्ष में प्रवेश करें।

* अपराधियों/असमाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा किये जाने की स्थिति में उसका तत्परता और प्रभावी ढंग से प्रतिकार करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित एवं दुरूस्त रखें।

* यदि कोई उम्मीदवार अथवा उसका एजेन्ट मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिए गैर कानूनी रूप से परिवहन साधनों का प्रयोग करता है/किराये पर लेता है तो वह जनप्रतिनिधित्व 1951 की धारा 133 के अधीन दण्डनीय है।

  प्रयोग करता है/किराये पर लेता है तो वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 133 के अधीन दण्डनीय है।

* यदि कोई उम्मीदवार अथवा उसका एजेन्ट मतदाताओं को मत देने के लिए उपहार/रिश्वत देता है अथवा देने का वचन देता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(च) के अधीन दण्डनीय होगा।

* चुनावसभा का आयोजन करने वाले सभा अध्यक्ष के अनुरोध पर पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति से उसका नाम और पता पूछ सकता है जिस पर वैधानिक रूप से आयोजित चुनाव सभा में व्यवधान उत्पन्न करने का संदेह हो। यदि ऐसा व्यक्ति अपना

नाम और पता बताने से मना करता है अथवा गलत नाम व पता देने का प्रयास करता है तो उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(3) के अधीन बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

* यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में कोई बाधा पहुँचाता है तो उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है।

9. व्यक्तिगत आचरण एवं आचार संहिता का पालनः-

बल की गरिमा एवं उनसे अपेक्षित आचरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को निम्न बातों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना होगाः–

(क) अपेक्षित आचरण (करने वाली बातें)

* अनुशासित रहें एवं पहचान पत्र साथ रखें।

* चुनाव सम्बन्धी आदर्श आचार संहिता का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिशिचित करना।

* मतदान के दौरान निष्पक्ष रहे और निष्पक्षता पारदर्शी होनी चाहिये।

* चुनाव सम्बन्धी अधिनियमों/मानकों से भली–भांति अवगत रहें।

* अपनी डियूटी को अच्छी प्रकार समझ ले। निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना ही लक्ष्य बिन्दु

और विशेष कर महिलाओं एवं बुजुर्गो के साथ शिष्ट व नम्र रहें।

* यदि मतदान केन्द्रों पर स्थिति बिगड़ती है, तब तत्काल पीठासीन अधिकारी से आदेश प्राप्त किये जायेंगे और तदनुसार कार्यवाही की जाये।

* डियूटी के दौरान मदिरा और नशीलें पदार्थों का सेवन करना सर्वथा वर्जित होगा।

4. चुनाव डियूटी में प्रस्थान करने से पूर्व की तैयारी-

डियूटी पर प्रस्थान करने से पूर्व निशिचित किया जाये कि बल के पास निम्नलिखित व आवश्यकता के अनुसार दंगा निरोधी उपकरण, हथियार, गोलाबारूद व सभी सुरक्षा उपकरण होः–

* वेपन
* एन्टीराइट उपकरण
* हेलमेट
* फर्स्ट ऐड बाक्स
* परिवहन
* मेस
* आवश्यकतानुसार वर्दी

5. चुनाव डियूटी में पहुंचने के बाद की जाने वाली कार्यवाही-

1. सम्बन्धित जनपद में पहुंचने के तत्काल बाद पुलिस निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क करके अपनी डियूटी के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त कर लें।

2. चुनाव के एक दिन पूर्व समस्त मतदान केन्द्रों पर निर्धारित संख्या में जवानों को पहुंचाना सुनिश्चित किया जाये।

3. कानून व्यवस्था का उल्लंघन होने की स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा कोई अन्य अवांछनीय स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा अन्य कोई अप्रिय वारदात होने पर तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें।

4. मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी या पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता है। इस नियम का अनुपालन कड़ाई से कराया जाये।

5. राजपत्रित अधिकारी व अधीनस्थ अधिकारी सभी कर्मियों को क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से अवगत करायेंगे।

8. अनुशासन एवं टर्न आउटः-

* जवानों को डियूटी पर भेजने से पूर्व राजपत्रित अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी उनके टर्न आउट की जांच करेंगे।

* दुरूस्त टर्न आउट सुनिश्चित करने के लिए वर्दी की धुलाई/प्रेस करने का प्रबन्ध किया जाये।

* जवानों को बताया जाये कि वह स्थानीय जनता से मेल–मिलाप करने से बचें व स्थानीय लोगों के साथ किसी भी प्रकार के वार्तालाप से दूर रहें क्योंकि यह गम्भीर रूप धारण कर सकता है।

* जवानों को स्थानीय राजनीति में पड़ने अथवा सिविलियन लोगों के साथ चर्चा करने से मना किया जाये।

* जवानों को विशेष रूप से सावधान किया जाये कि जब वह मतदान केन्द्रों पर डियूटी पर हो तब जनता

4. दल जब रास्ते में हों, उस समय उत्पन्न होने वाली चिकित्सीय सहायता के लिए जोनल कमाण्डेन्ट निकट के अस्पताल या जिला चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

5. रास्ते में उत्पन्न होने वाली पी0ओ0एल0 सम्बन्धी समस्या का निराकरण करायेंगे।

6. वाहिनी के कमाण्डेन्ट, जोनल कमाण्डेन्ट एवं जनपदीय पुलिस अधीक्षको से सम्पर्क कर अपनी पीएसी की कम्पनियों का लोकेशन, खैरियत का विवरण रखेंगे।

6. मतदान केन्द्र अथवा अन्य स्थान पर लगे अधिकारी व जवान संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे।

7. समस्त अधिकारी व जवान राजनैतिक दलों के प्रति अपने विचारों का प्रदर्शन नहीं करेंगे।

8. राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी अपने जवानों को महत्वपूर्ण स्थानीय टेलीफोन नम्बरों से अवगत करायेंगे तथा नजदीकी दवाखाने व अस्पताल का पता भी बतायेंगे।

6. वाहिनी नियंत्रण कक्ष के कर्तव्यः-

वाहिनी नियंत्रण कक्ष का प्रभारी एक राजपत्रित अधिकारी होगा। नियंत्रण कक्ष में निम्नलिखित सूचनाये अद्यतन रखी जायेगी–

1. वाहिनी के दल कहां–कहां व्यवस्थापित हैं।

2. वाहिनी के दलों को प्रत्येक चरण में कहां–कहां जाना है।

3. समस्त जोनल कमाण्डेंट की सूची/सूची में उनके जोन के अन्तर्गत आने वाले जनपदों का नाम अंकित हो।

4. दलों के प्रस्थान/आगमन का समय तथा उनका रूट प्लान व लोकेशन।

5. कैंप स्थल का नाम।

6. प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी के सीयूजी नम्बर।

7. जोनल कमाण्डेन्ट के दायित्वः-

मुख्यालय के परिपत्र संख्या– पीएसी–।।–605(38)2011, दिनांकः 27.6.2013 के माध्यम से उ0प्र0 के सभी जनपदों के लिए पीएसी के जोनल कमाण्डेन्ट की व्यवस्था की गयी है। यह जोनल कमाण्डेन्ट अपने–अपने जनपदों में पीएसी के मनोबल, कल्याण, अनुशासन एवं नेतृत्व के प्रभारी होंगे। जोनल कमाण्डेन्ट चुनाव में निम्नलिखित व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करेंगेः–

1. जोनल कमाण्डेन्ट अपने अधीन जनपदों में चुनाव डियूटी हेतु पीएसी को समय से प्रस्थान कराने के उत्तरदायी होंगे।

2. जिस जनपद से पीएसी का प्रस्थान हो रहा है, वहां के जोनल कमाण्डेन्ट उस जनपद के जोनल कमाण्डेन्ट से जहां पीएसी जानी है, सम्पर्क कर प्रस्थान की सूचना दे देंगें एवं मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

3. दलनायकों को जिलेवार जनपद कमाण्डेन्टों की सूची वाहिनी सेनानायक द्वारा उपलब्ध करा दी जाये। दलनायक का कर्तव्य होगा कि सम्बन्धित जोनल कमाण्डेन्ट को अपना लोकेशन दे एवं गन्तव्य पर पहुंचने की सूचना दे।